

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : पीयूष समारिया, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 10/2026 (Bank Case)

GCMS No. 2026/26

चौलामण्डल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक पता- मकान नं० 02, एन.एस.सी., बोस रोड, पायर्स चैन्नई इण्डिया-600001 में स्थित है। तथा एक ब्रांच कार्यालय- गुमानपुरा, कोटा में स्थित व कार्यरत है। जयें प्राधिकृत अधिकारी श्री मोहित जैन।

- प्रार्थी / सिक्वोर क्रेडिटर

## बनाम

1. श्री गोवित सचदेव  
पता- सी-280, मोदी होस्टल के पीछे, तलवण्डी, विज्ञान नगर, कोटा (राज०)-324005  
-(ऋणी )
2. श्रीमती सरोज सचदेव  
पता- सी-280, मोदी होस्टल के पीछे, तलवण्डी, विज्ञान नगर, कोटा (राज०)-324005  
-(सहऋणी / बंधककर्ता)
3. न्यू हार्डवेयर हाउस  
पता- सी-280, मोदी होस्टल के पीछे, तलवण्डी, विज्ञान नगर, कोटा (राज०)-324005  
-(सह-ऋणी )
4. श्री अशोक कुमार सचदेव  
पता- सी-280, मोदी होस्टल के पीछे, तलवण्डी, विज्ञान नगर, कोटा (राज०)-324005  
-(सह-ऋणी )

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूमि हित प्रवर्तन अधिनियम 2002

उपस्थित:-

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

## आदेश

दिनांक: 18.02.2026


संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी चौलामण्डल इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी लिमिटेड जिसका मुख्य व्यवसायिक पता- मकान नं० 02, एन. एस.सी., बोस रोड, पायर्स चैन्नई इण्डिया-600001 में स्थित है। तथा एक ब्रांच कार्यालय- गुमानपुरा, कोटा में स्थित व कार्यरत है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से दिनांक 31.12.2022 को रूपये 42,45,000/-रूपये (अक्षरे: बीयालीस लाख पैतालीस हजार रूपये मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे श्रीमती सरोज की सम्पत्ति सी-280, मोदी होस्टल के पीछे, तलवण्डी, विज्ञान नगर, कोटा (राज०)-324005 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1225 वर्ग फुट है। जिसकी चर्तुःसीमाए पूरब में- अन्य भूखण्ड, पश्चिम में- 20 फुट रोड, उत्तर में- भूखण्ड संख्या 281-सी, दक्षिण में- भूखण्ड संख्या 279-सी, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 03.09.2025 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थी द्वारा उसके खातों मे 41,53,719/- (अक्षरे इकतालीस लाख, तिरेपन हजार सात सौ उन्नीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 08.09.2025 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है। प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्ति के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय

संस्था को नही संभलाया है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उनके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 08.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के दिनांक 08.09.2025 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भी अप्रार्थीगण को प्रेषित किया गया। नोटिस प्राप्त के बावजूद बन्धकर्ता ने ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी/बंधकर्ता श्रीमती सरोज की सम्पत्ति सी-280, मोदी होस्टल के पीछे, तलवण्डी, विज्ञान नगर, कोटा (राज0)-324005 में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1225 वर्ग फुट है। जिसकी चर्तुःसीमाएँ पूरब में- अन्य भूखण्ड, पश्चिम में- 20 फुट रोड, उत्तर में- भूखण्ड संख्या 281-सी, दक्षिण में- भूखण्ड संख्या 279-सी, का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा। आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो। इस आदेश की क्रियान्विति आदेश जारी होने की दिनांक से एक माह बाद की जावे।

आदेश आज दिनांक 18.02.2026 को सुनाया गया।

  
(पीयूष समारिया)  
जिला मजिस्ट्रेट कोटा

**जिला मजिस्ट्रेट**  
कोटा (राज0)

